

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना  
सं. 40/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 अगस्त, 2023

का.आ . . . . . बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित सूचनाओं के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित सूचना प्राप्तकर्ता के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रदत्त या उन पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात:-

सारणी

क्र.सं.	सूचना प्राप्तकर्ता का नाम और पता	सूचना संख्या और तारीख	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों का नाम	प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल), 26वीं मंजिल, ए विंग, मैराथन फुटरेक्स, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र-400013	37/एडीसी/ सीजीएसटी / एमसी/ आडिट- II/ 2022 दिनांक 24.08.2022 फा. सं. सीजीएसटी-ए2/एमयुएम/एफ-22/जीएसटी/ यूनाइटेड स्पिरिट्स/5307/5668/2021/5962 द्वारा जारी	संयुक्त या अपर आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई सेंट्रल आयुक्तालय	संयुक्त या अपर आयुक्त, केन्द्रीय कर, कोलकाता नॉर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी आयुक्तालय

[फा.स. सीबीआईसी-20016/16/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)  
निदेशक